न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या-22/2021
अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3
सरकार
बनाम
सावन चौधरी, पे0-स्व0 शंकर प्रसाद, सा0-प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
07.09.2021		

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 83/डी0सी0बी0, दिनांक 31.03.2021) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,फारबिसगंज के प्रस्ताव (पत्रांक 1096/अनु0, दिनांक 25.03.2021) के आधार पर सावन चौधरी, पे0-स्व0 शंकर प्रसाद, सा0-प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक,अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 83/डी0सी0बी0, दिनांक 31.03.2021) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि सावन चौधरी, पे0-स्व0 शंकर प्रसाद, सा0-प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया एक सकिय अपराधकर्मी है। इनका आचरण संदिग्ध है तथा अपराधिक रूप से सक्रिय है। इनके द्वारा मौका मिलते ही लोक शांति भंग किये जाने की संभावना है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। इनके व्यवहार से समाज में काफी भय व्याप्त है। ये चोरी छुपे अपराधिक घटना को अंजाम देते है। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव-2021 के मद्देनजर इनके द्वारा अपने आपराधिक पृष्ट्भूमि के कारण लोगों के बीच भय का माहौल बनाकर कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर सकते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था भंग होने की पुरी संभावना है।

सावन चौधरी का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. फारबिसगंज थाना कांड सं0-424/19, दिनांक-17.05.19, धारा-399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। आरोप पत्र सं0-143/19, दिनांक-30.09.19
2. फारबिसगंज थाना कांड सं0-476/19, दिनांक-02.06.2019, धारा-406/467/420/34 भा0द0वि0। न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त।

अररिया जिला में बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी सावन चौधरी, पे0-स्व0 शंकर प्रसाद, सा0-प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है।

उक्त के आलोक में आरोपी/अपराधकर्मी सावन चौधरी को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी-सावन चौधरी की ओर से हाजिरी दी गई एवं जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय में उपस्थित विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया श्री लक्ष्मी नारायण यादव एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री बिनोद कुमार पाण्डेय एवं विपक्षी सावन चौधरी को सुना।

विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया का मुख्य कथन है कि विपक्षी के विरूद्ध दर्ज कांडो की प्रकृति गंभीर है। विपक्षी द्वारा फारबिसगंज थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया है। विपक्षी द्वारा आगामी बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में स्थानीय स्तर पर धांधली एवं विधि व्यवस्था उत्पन्न करने तथा विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में हुडदंग मचाने की पूर्ण संभावना है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से विपक्षी के विरूद्ध प्राप्त प्रस्ताव सही है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत जिला बदर करने का आदेश पारित किया जाय।

विपक्षी का मुख्य कथन है कि वह शांतिप्रिय तथा विधिपालक नागरिक है। फारबिसगंज थाना कांड संख्या-424/19 तथा फारबिसगंज थाना कांड सं0-476/19 में न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है तथा उक्त वाद न्यायालय में चल रहा है। उनकी छवि समाज में एक संभ्रात व्यक्ति के रूप में है। उनके आचरण से समाज में किसी प्रकार की विधि भंग होने की संभावना नहीं है। उनका आचरण हमेशा समाजिक एवं

व्यवहारिक है। उनकी प्रार्थना है कि स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाय।

उभय पक्ष के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी०एच०, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरूद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि **सावन चौधरी दिनांक-13.09.2021 के पूर्वाहन से दिनांक 21.11.2021 के पूर्वाहन तक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार तथा शनिवार) नरपतगंज थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, नरपतगंज** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव, 2021 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही लिखित में यह भी बतायेंगे कि मतदान की तिथि को कितने बजे किस रास्ते से घर से मतदान केन्द्र तक जायेंगे एवं किस रास्ते से मतदान केन्द्र से घर आयेंगे।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2059 / विधि, दिनांक 11.9.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, फारबिसगंज थाना एवं थानाध्यक्ष, नरपतगंज को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2059 / विधि, दिनांक 11.9.2021

प्रतिलिपि : श्री सावन चौधरी, पे0-स्व0 शंकर प्रसाद, सा0-प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।